झारखण्ड सरकार
भविष्य निधि निदेशालय
वित्त विभाग

पत्रांक -जी.पी.एफ.-43-237/2022 1081/भ०नि० दिनांक - 20/10/2022

प्रेषक,

अवर सचिव,
भविष्य निधि निदेशालय
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी
झारखण्ड राज्य ।

विषय - वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143/वि.पे. दिनांक 05.09.2022 के आलोक में नयी अंशदायी पेंशन योजना के कर्मियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि विषयांकित मामले में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन हेतु ऑनलाईन मॉडयूल प्रारम्भ कर दिया गया है । वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 20.10.2022 को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन हेतु ध्यातव्य बिन्दु निम्नवत हैं :-

1. Annexure-1 में शपथ पत्र विहित प्रारुप में होना चाहिए अर्थात् शपथ के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकार (नोटरी/कार्यपालक दण्डाधिकारी आदि) के स्तर से निर्गत होना चाहिए ।

2. विहित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र नहीं रहने पर आवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को वापस (Back to DDO) कर दिया जाएगा ।

3. लेखा संख्या आवंटन हेतु विहित प्रपत्र की चार प्रति, नामांकन प्रपत्र की दो प्रति तथा शपथ पत्र की एक प्रति संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को प्राप्त होना है ।

4. लेखा संख्या आवंटन प्रपत्र की ऑनलाईन प्राप्त प्रति में संबंधित विभागीय पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनिवार्यता नहीं है । बिना हस्ताक्षर के ऑनलाईन प्राप्त प्रति डाउनलोड कर कार्यालय को प्राप्त हार्ड कॉपी से मिलान कर ऑनलाईन लेखा संख्या आवंटन की कार्रवाई की जानी है । तत्पश्चात हार्ड कॉपी में प्राप्त प्रपत्र पर उक्त लेखा संख्या अंकित करते हुए इसकी हस्ताक्षरित प्रति (दो प्रतियों में) तथा नामांकन प्रति की एक प्रति वापस किया जाना है ।

कृ.पृ.उ.

Scanned with CamScanner

अतएव अनुरोध है कि उक्तानुसार प्राप्त प्रपत्र के आधार पर लेखा संख्या आवंटन की कार्रवाई की जाय । साथ ही पत्र प्राप्ति के पूर्व कार्यालय को प्राप्त आवेदन प्रपत्रों की समीक्षा करते हुए उक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में प्राप्त नहीं हुए मामलों को डी.डी.ओ. को वापस (Back to DDO) कर दिया जाय ।

विश्वासभाजन

अवर सचिव
भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

Scanned with CamScanner